कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

।। ज्ञापन ।।

क्रमांक / 2602 / भू–बंटन / 2019 — जांजगीर, दिनांक 14 / 02 / 2019

प्रति,

मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड
ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा
जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.)

विषयः– **मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड को जिले जांजगीर–चांपा के अंतर्गत 1200 मेगावाट आई.पी.पी. तहसील डभरा जिला जांजगीर–चांपा के रकबा 5.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार ग्राम सभा का प्रमाण पत्र एवं कलेक्टर का वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–ब एवसं प्रदर्श– स प्रदान किये जाने बाबत्।**

विषयांतर्गत आपके द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र पदर्श "स" की मांग की गई है।

प्रमाण पत्र पदर्श "स" इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चाम्पा

प्रदर्श–"स"

प्रारूप–1

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

क्रमांक /1260/एफ.आर.ए/2019, जांजगीर, दिनांक 14-2-19

मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड बाड़ादरहा को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के परियोजना विस्तार हेतु जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बाड़ादरहा के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 5.000 हे0 राजस्व वन भूमि प्रकरण मे अनूसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 मे नियत संपूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि ग्राम बाड़ादरहा की कुल खसरा नं. 779/1 कूल रकबा 25.008 हे. में से 5.000 हे. व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा मे स्थित है, मे तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क0	खसरा नं0	रकबा	मद
01	779/1	5.000 हे.	छोटे बड़े झाड़ का जंगल
योग	01	**5.000 हे.**	

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23.01.2018 ग्राम पंचायत बाड़ादरहा (प्रदर्श "ब") एवं अनुभाग (उपखण्ड) स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 (प्रदर्श "अ") प्रदर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव बाड़ादरहा ग्राम के श्री. समयलाल यादव की अध्यक्षता मे हुई ग्राम सभा की बैठक दिनॉक 23.01.2018 मे रखा गया था, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण की पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाइस हिंदी एवं स्थानीय भाषा मे दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र मे उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है, कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये है, वह ग्राम सभा द्वारा लिया गया है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुभाग स्तरीय समिति का प्रस्ताव दिनॉक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 तथा ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनॉक 23/01/2018 अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समुह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है। जिनका वन अधिकार "अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. अनुभाग स्तरीय समिति एवं ग्राम सभा के संकल्पो के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला जांजगीर चांपा

o/c

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला जांजगीर–चांपा
/ /बैठक कार्यवाही विवरण/ /

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम पंचायत बाड़ादरहा में मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुभाग (उपखण्ड) स्तरीय वन अधिकार समिति, डभरा, जिला जांजगीर–चांपा की बैठक एवं निरीक्षक की कार्यवाही विवरण दिनांक 09.08.2018 के अनुसार जिला स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क0	खसरा नं0	रकबा	मद
01	779/1	5.000 हे.	छोटे बड़े झाड़ का जंगल
योग	**01**	**5.000 हे.**	

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु दिनांक 04.02.2019 को जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा में आयोजित की गई, बैठक में श्री ए.के. घृतलहरे, अपर कलेक्टर जांजगीर–चांपा, श्री एच.आर. चौहान सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जांजगीर–चांपा, श्री अजित साहू, जिला पंचायत सदस्य, श्री श्रवण कुमार सिदार जिला पंचायत सदस्य तथा वन मण्डलाधिकारी चाम्पा के प्रतिनिधि श्री बंशीलाल साहू बैठक में उपस्थित रहे।

अनुभाग स्तरीय समिति का प्रस्ताव दिनांक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 तथा ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23.01.2018 अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है। जिनका वन अधिकार "अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

जिला स्तरीय समिति की बैठक में अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा स्थित भूमि ख.नं. 779/1 में से रकबा 5.000 हेक्टेयर में छोटे बड़े झाड़ के जंगल राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है। वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी हितग्राहियों को पट्टा नहीं दिया गया है। वर्तमान में भूमि रिक्त है।

04/02/19

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चांपा

प्रदर्श अ

अनुभाग (उपखण्ड) स्तरीय वन अधिकार समिति, डभरा, जिला जांजगीर–चांपा

//बैठक एवं निरीक्षण की कार्यवाही विवरण//

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम पंचायत बाड़ादरहा में 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रस्ताव मैसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	हल्का नंबर	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर में	प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	मद
01	बाड़ादरहा	बाड़ादरहा	02	779/1	25.008	5.000	छोटे बड़े झाड़ के जंगल
महायोग :–				01	25.008	5.000	

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु दिनांक 09/08/2018 को अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा में आयोजित की गई, बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, उप वनमंडलाधिकारी जांजगीर चांपा, तहसीलदार डभरा, जनपद पंचायत सदस्य धुरकोट, जनपद पंचायत सदस्य टुण्ड्री, सरपंच प्रतिनिधि टुण्ड्री, पटवारी एवं संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थिति रहे। जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र (मान्यता प्रमाण पत्र) का वितरण नहीं किया गया है एवं न ही प्रस्तावित किया गया है लेकिन जनपद सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के निरीक्षण की मांग पर दिनांक 18.10.2018 को संस्थान के प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्री. झाडूराम राठिया जनपद सदस्य बाड़ादरहा/टुण्ड्री, श्रीमती मीना राठिया सरपंच टुण्ड्री प्रतिनिधि जीधन सिंह राठिया, वन विभाग के प्रतिनिधि एवं संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा हल्का पटवारी श्री देवेन्द्र साहू द्वारा राजस्व अभिलेख एवं नक्शे से मौके में मिलान कर बतलाया गया।

प्रस्तावित भूमि पर वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरण के संबंध में जांच उपरांत यह पाया गया है कि वन अधिकार प्रमाण पत्र का न तो वितरण किया गया है और न ही प्रस्तावित किया गया है अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर पॉवर प्लांट के विस्तार किये जाने हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उप वनमंडलाधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन
अधिकार समिति, डभरा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डभरा
अध्यक्ष, अनुभाग स्तरीय वन
अधिकार समिति, डभरा

118

प्रदर्श–"ब"

ग्राम सभा बाड़ादरहा बैठक दिनांक 23/01/18 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः– बाड़ादरहा
स्थानः– सामुदायिक भवन

दिनांक :–

आज दिनांक 23/01/2018 को ग्राम बाड़ादरहा के समय ओझियाछ की अध्यक्षता मे ग्राम सभा की बैठक आहुत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के 41 सदस्य उपस्थित थे। बैठक मे निम्न विषय पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम बाड़ादरहा मे आवेदक मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड ने गैर वानिकी कार्य के लिए राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु राजस्व वन भूमि खसरा नं. 779/1 रकबा 25.008 हे. में से 5.000 हे. की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक मे विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी, जो वन भूमि औद्योगिक कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि नही संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक किसी आदिवासी) या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी /गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	(रकबा हे.मे.)
		निरंक	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा मे निर्णय लिया गया कि 5.000 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड को अन्य प्रचलित नियम एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

नोट:- बाड़ादरहा के निस्तारी व गोचर जमीन है इसे डी.बी. पावर को दीया जाना संभव नहीं है इसमें 779/1 मे रामपुर मुहल्ला विगत 80 वर्षों से निवासरत है।

सरपंच [signature] 23-1-18
ग्राम पंचायत बाड़ादरहा
विकास खण्ड-डभरा
जि.-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

उपस्थित सदस्य गणः

कृमांक नाम

हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

(118)

(1)

आज दिनांक 02310/18 को ग्राम सभा रखा गया जिसमें निम्न ग्रामीण व अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे:-

1. श्रीमान् समय लाल यादव सरपंच [signature]
2. —"— लोकेश्वर प्रसाद चन्द्रा सचिव [signature]
3. —"— धर्मेन्द्र कुमार पटेल
4. —"— लीलाराम पटेल लीलाराम
5. वेद प्रकाश पटेल स्वा० कार्यकर्ता Vedprakash
6. हरिशंकर पटेल (SHP) कृषक ... [signature]
7. श्रीमाराम यादव श्रीमाराम यादव
8. गणेशराम यादव गणेशराम
10. गणपत लाल यादव
11. लाल कुमार लाल कुमार
12. बिकाऊ राम बिकाऊराम
13. राधेश्याम [signature] राधेश्याम
14. भोला नाथ भोलानाथ
15. नानकुन राठिया नानकुन
16. परमानंद यादव परमानंद यादव
17. पदुम लाल यादव पदुम लाल

(18)	सोनाराम महिलांगे	
(19)	रामकुमार पटेल	रामेश्वर
(20)	शोभित राम साहिया	शोभिराम
(21)	सोमाराम यादव	सोमाराम
(22)	भुनेश्वर दास	
(23)	हेमराज महंत	
(24)	गोवर्धन	गोवर्धन
(25)	अमृत लाल महिलांगे	अमृतलाल
(26)	~~अहिल्या महिलांगे~~	अहिल्याबाई
(27)	प्रेमबाई पटेल	प्रेम बाई
(28)	हीराधर पटेल	हिराधर पटेल
(29)	भुनेश्वर यादव	भुनेश्वर यादव
(30)	मुकेश कुमार यादव	मुकेश यादव
(31)	अनय कुमार	अनय कुमार
(32)	मनान	मनुन
(33)	समत यादव	समत यादव

34	धाताराम	धाराराम
35	ओम प्रकाश	ओम प्रकाश
36	जगदीश	जगदीश
37	कीर्तन	कीर्तन
38	रामेश्वर यादव	रामेश्वर यादव
39	उत्तम पटेल	उत्तम पटेल
40	जयपाल	जयपाल
41	भूतन कुमार सारथी (ग्रा०रो०सहा०)	[signature]

Pandey
सचिव
ग्राम पंचायत बालादरहा
जनपद पंचायत डभरा

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत बालादरहा
विकास खण्ड - डभरा
जि - जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(12) प्रदर्श–"स"

प्रमाण पत्र

गेरार्रा डी.बी.पावर लिमिटेड बाड़ादरहा को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के परियोजना विस्तार हेतु जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बाड़ादरहा के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 5.000 हे0 राजस्व वन भूमि प्रकरण मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 मे नियत संपूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा संपुर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि ग्राम बाड़ादरहा की खसरा नं. 779/1 कूल रकबा 25.008 हे. में से 5.000 हे. व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा मे स्थित है, मे तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	खसरा नं0	रकबा	म्द
01	779/1	5.000 हे.	छोटे बड़े झाड़ का जंगल
योग	01	5.000 हे.	

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23.01.2018 ग्राम पंचायत बाड़ादरहा (प्रदर्श "ब") एवं अनुभाग (उपखण्ड) स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 (प्रदर्श "अ") प्रदर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव बाड़ादरहा ग्राम के श्री. समयलाल यादव की अध्यक्षता मे हुई ग्राम सभा की बैठक दिनॉक 23.01.2018 मे रखा गया था, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण की पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाइस हिंदी एवं स्थानीय भाषा मे दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र मे उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है, कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये है, वह ग्राम सभा द्वारा लिया गया है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुभाग स्तरीय समिति का प्रस्ताव दिनॉक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 तथा ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनॉक 23/01/2018 अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समुह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है। जिनका वन अधिकार "अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (c) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. अनुभाग स्तरीय समिति एवं ग्राम सभा के संकल्पो के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप वन मण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
एवं
अध्यक्ष वन अधिकार समिति
तहसील डभरा, जिला जांजगीर चांपा

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

।। ज्ञापन ।।

क्र क/ 13370 / भू–बंटन / 2017 जांजगीर, दिनांक 16.08.2017

प्रति,

डी.बी.पावर लिमिटेड
ग्राम बाड़ादरहा
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय :– जांजगीर–चांपा जिले की जांजगीर वनमण्डल अंतर्गत डी.बी.पावर लिमिटेड के लिए ग्राम बाड़ादरहा, तहसील डभरा में परियोजना विस्तार हेतु 5.00 हे0 राजस्व वन भूमि (छोटे–बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यवपर्तन के प्रस्ताव बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डभरा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1509 / अ.वि.अ. / री / 2017 डभरा दिनांक 05.08.2017

विषयांकित संदर्भित पत्र प्रेषित कर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डभरा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बाड़ादरहा में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 779/1, कुल रकबा 25.008 हे0 में से 5.000 हे0 भूमि को परियोजना विस्तार हेतु राजस्व वन भूमि (छोटे–बडे झाड का जंगल) गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र किसी को नहीं दिया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित्।

डिप्टी कलेक्टर
हेतु / कलेक्टर
जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / / भू–बंटन / 2017 जांजगीर, दिनांक 16.08.2017

प्रतिलिपि :–

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डभरा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।

डिप्टी कलेक्टर
हेतु / कलेक्टर
जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

Bhu Bantan (Autosaved)10